फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आ.ए.एस.

प्रा.पत्र संख्या :– 58/24

देवीलाल पिता भोलीराम जी माली
निवासी बेगूँ
जिला चितौडगढ़ वगै. प्रार्थीगण

बनाम

मुरलीधर पिता सत्यनारायण वैष्णव
निवास बेगूँ तह. बेगूँ
जिला चितौडगढ़ वगै.विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री एस एन ईनाणी
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.09.2025	प्रार्थीगण–वादीगण ने एक वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 रा. टि.एक्ट का विपक्षीगण–प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया गया जो ठोस एवं सत्याधारित कथनो पर आधारित होने से अवश्य ही वादीगण–प्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री होगा लेकिन वादपत्र के निस्तारण में निश्चित ही समय लगेगा इसलियें विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये किये जाने हेतु प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत हैं। यह कि मौजा बेगूँ प.ह. बेगूँ तहसील बेगूँ में स्थित आराजी नंबर 695 रकबा 0.0370 हे. गैर मुस्तकिल चाह अवस्थित हैं जिसमें प्रार्थीगण संख्या 2,8 एवं स्वर्गीय भोलीराम जी व भेरूलाल जी माली एवं विपक्षी संख्या 1,2,3 का हक व हिस्सा अंकित हैं एवं प्रार्थीगण संख्या 1,2 एवं विपक्षी संख्या 4 स्वर्गीय भोलीराम जी के एवं प्रार्थीगण संख्या 4 से लगाकर 7 स्वर्गीय भेरूलाल जी के उत्तराधिकारी हैं जिनके नाम नामांतरण होना बकाया हैं । इस प्रकार सभी प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 इस चाह में संयुक्त हिस्सेदार हैं । यह कि आराजी नम्बर 695 रकबा 0.0370 हें. गेर मुस्तकिल चाह होकर पक्षकारान हिस्से अनुसार पानी के उपयोग उपभोग के अधिकारी हैं । किन्तु आराजी चाह होने से इसका विभाजन नही हो सकता है। यह कि विपक्षी संख्या 1 ने उपरोक्त आराजी में 1/28 हिस्सा दिनांक 21/3/2024 को सहखातेदार श्री प्रकाशचन्द्र से खरीद कर विक्रयपत्र निष्पादित करवाया जिससे उनका 1/28 हिस्सा रेकार्ड में अंकित हुआ हैं । यह कि आराजी नंवर 695 चाह होकर सभी हिस्सेदार को हिस्से अनुसार पानी निकालने का अधिकार है। किन्तु यह आराजी चाह होने से इसका विभाजन संभव नही हैं एवं कृषि भूमि होने से और सामलाती चाह होने से इसका किसी भी प्रकार से आवासीय, व्यवसायिक या अन्य कार्य के लियें उपयोग परिवर्तन भी संभव नही हैं और न ही इस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य ही हो सकता हैं यह कि दिनांक 20/11/2024 को विपक्षीगण संख्या 1 से 4 इस गैर	

अधिकार नही है। कानूनन प्रार्थी संख्या 1 3 से 7 के नाम पर उक्त भूमि दर्ज रिकार्ड नही होने से उक्त भूमि के लिए वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें। साथ ही कानूनन चाह भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद का सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

यह कि वर्तमान में उक्त चाह भूमि आबादी भूमि में होने से एवं मौके पर उक्त भूमि मे प्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने हिस्से पर मकान निर्माण करने से उक्त भूमि आबादी क्षैत्र में होने से भी उक्त वाद व प्रार्थना पत्र का सुनवाई का अधिकार श्रीमान को प्राप्त नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

यह कि कानूनन सहखातेदारो को सह खतोदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है जिससे भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पो षणीय नहीं है ।

अतःश्रीमान से प्रार्थना है कि कानूनन प्रार्थीगण कोई अनुतोष श्रीमान से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानून विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस उभयपक्ष की पूर्व मे सुनी गई थी। किन्तु कार्य व्यस्ता अधिक होने से पुनः मजिद बहस ध्यान पूर्वक सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र के अनुसार ही करते हुए आ.चाह में विपक्षीगण द्वारा निर्माण कार्य किये जाने के कथन को दौहराते हुए पूर्व में उन्हें जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का उल्लेख करते हुए अब जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मूलवाद के अंतिम निस्तारण पाबंद किया जाने का निवेदन अपनी बहस में किया।

अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में सहखातेदारान को कानूनन जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाने के प्रावधानो पर जोर देते हुए आचाह की आराजी पर हिस्सा सभी का होने एवं उसे सुने जाने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने का निवेदन अपनी बहस में किया हैं

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा मूल दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया, मामला आराजी चाह में निर्माण को लेकर विवाद का है, हमारी विनम्र राय से वर्णित आराजी चाह की भूमि सहखातेदारान की होकर सभी का हिस्सा होने का तथ्य दस्तावेजी है, हम मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक दोनो ही पक्षो को मौके पर यथास्थिती कायम रखे जाने हेतु पावंद किया जाना न्यायसंगत समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा प्राथीगण एवं विपक्षीगण को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक मौजा बेगूँ प.ह. बेगूँ की आराजी संख्या 695 कुल रकबा 0.0337 हैक्टर गैर मुस्तकिल चाह के लिए मौके की एवं रिकोर्ड की यथास्थित कायम रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू